कोरोना संक्रमण रोकने अदालत ने भी संभाला मोर्चा

डॉ. विश्वास तिवारी

कोरोना का संक्रमण जो अब तक घर घर में पैठ बना रहा था उसने अब **कोर्ट-कचहरी** में भी **घुसपैठ** कर ली है। आजकल कोर्ट ने जजों की **टिप्पणियों** को देखते हुए लग रहा है कि वो सरकार की कोरोना संक्रमण को रोकने के प्रयासों को लेकर **गुस्से** में है। हमने आज तक जजों को ऐसे **खुलकर खुद को अभिव्यक्त** करते नहीं देखा है।

जब **अस्पतालों** से, **शमशान घाटों** से, **ऑक्सीजन और दवाईयों** की कमी, **रोते-बिलखते परिवार और अस्पतालों में जारी लूटपाट की खबरें** लगातार दिखाई जा रही हो तो **न्यायाधीश** भी कैसे **संयमित** रह सकता है। यह तो एक बहुत ही **स्वाभाविक प्रक्रिया** है। बेशक **सुप्रीम कोर्ट** का कहना सही है कि निचली अदालतें **अनुचित** या **कठोर शब्दों** का उपयोग नहीं कर सकती, लेकिन एक लंबे समय के बाद न्यायपालिका **एक महान भारतीय न्यायपालिका** की तरह कार्य कर रही है।

भारत के लोकतंत्र में कई कमियां निकाली जा सकती है, लेकिन आम तौर पर किसी संकट की घड़ी में कोई न कोई **सांविधानिक संस्था जरूर सहारा** बनकर खड़ी हो जाती है। भारत में इस संकट के दौर में पिछले कुछ दिनों से न्यायपालिका की अचानक **सक्रियता संतोष** प्रदान करने वाली है और एक **उम्मीद की किरण** जगाती है। सुप्रीम कोर्ट और कई हाईकोर्ट जिस तरह कोविड की स्थिति और अन्य सवालों पर भी लगातार **आम नागरिकों और सांविधानिक** मूल्यों के पक्ष में अन्य संस्थाओं और सरकार को **जवाबदेह** बनाने की कोशिश कर रहे है, वह देश के लोकतंत्र के लिए सुखद है। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं की आए दिन अदालतों की कार्रवाई या उनके फैसले **सुर्खियों** में बने हुए हैं।

27 अप्रैल मद्रास हाईकोर्ट: ' भारत का चुनाव आयोग देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। उसके अधिकारियों पर कोविड-19 के मानकों का पालन किए बिना रैलियों की अनुमति देने के लिए संभवतः हत्या का मुकदमा चलाया जाए।'

4 मई इलाहाबाद होईकोर्ट: 'कोविड-19 के मरीजों की मौते, एक आपराधिक कृत्य है और नरसंहार से कम नहीं'

4 मई दिल्ली हाईकोर्ट: ' आप शतरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह डाल सकते है, हम नहीं (ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए)।'

7 मई, सुप्रीम कोर्ट: 'हम चाहते है कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन की जाए। हम यह गंभीरता से कह रहे है। कृपया हमें उस स्थिति में जाने के लिए मजबूर न करें जहां हमें सख्ती बरतनी पड़े।'

ये कोरोना के मामले में सरकार के कामकाज पर पिछले कुछ दिनों की हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की **सख्त टिप्पणियां** है।

जब अस्पतालों से, शमशान घाटों से, ऑक्सीजन और दवाईयों की कमी, रोते-बिलखते परिवार और अस्पतालों में जारी लूटपाट की खबरें लगातार दिखाई जा रही हो तो न्यायाधीश भी कैसे संयमित रह सकता है। यह तो एक बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। बेशक सुप्रीम कोर्ट का कहना सही है कि निचली अदालतें अनुचित या कठोर शब्दों का उपयोग नहीं कर सकती, लेकिन एक लंबे समय के बाद न्यायपालिका एक महान भारतीय न्यायपालिका की तरह कार्य कर रही है।

ये **टिप्पणियां** कड़ी तो थी ही, कुछ हद तक **असरदार** भी थी। मद्रास उच्च न्यायालय की टिप्पणी का असर यह हुआ कि चुनाव आयोग ने आदेश जारी कर के **2 मई** को होने वाली मतगणना के बाद **विजय जुलुसों** पर रोक लगा दी, साथ ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश पाने के लिए **कोरोना नेगेटिव** होने की **टेस्ट रिपोर्ट** दिखाना अनिर्वाय कर दिया।

उसी तरह दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर की गई टिप्पणियों की बदौलत राष्ट्रीय राजधानी को आखिरकार पहले से **बेहतर ऑक्सीजन** की **आपूर्ति** मिलने लगी। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की फटकार में सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कुछ मामले **जनहित याचिकाओं** से आए है, लेकिन कई मामलों में तो **अदालतों ने खुद ही संज्ञान** लेकर कारण बताओं **नोटिस** जारी किए है। अपने आदेशों का पालन नहीं होने पर सरकारों से पूछ रही है कि क्यों न उनके खिलाफ **अवमानना** का केस दर्ज किया जाए?

लेकिन क्या अदालतों के इस रवैये के बाद सचमुच कोई **बड़ा परिवर्तन** दिख रहा है? सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत तो केंद्र सरकार को उसकी **कार्यशैली और सलाह** के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकलने पर **रोज ही फटकार** लगा रही है। अभी तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का **चरम** भी नहीं आया है और कोरोना की **तीसरी लहर** आने की **सुगबुगाहट** शुरू हो गई है। दुनियाभर के वैज्ञानिकों का कहना है कि दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर का प्रभाव ज्यादा **मारक** होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर भी सरकार का **एक्शन प्लान** मांग लिया है। अदालत ने खास तौर पर **बच्चों को** लेकर चिंता जताई है और पूछा है कि जब बच्चे बीमार होकर अस्पताल जाएंगे, तो उनके **पालकों** को भी साथ जाना होगा, इसके लिए सरकार क्या **तैयारी** कर रही हैं? हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अदालते सरकार को केवल **लताड़** लगा रही है तीसरी लहर को लेकर उसने सरकार को कुछ **सुझाव** भी दिए है, जिसमें सबसे बड़ा सुझाव है **टीकाकरण कार्यक्रम** को **तेजी** से पूरा करने की जरूरत।

इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा हालात से निकलने के लिए **टीकाकरण** ही सबसे **कारगर हथियार** साबित हो सकता है। **अमेरिका** इसकी जीती जागती **मिसाल** है। अमेरिका ने वैक्सीन बनाने वाली **कंपनियों** को **100 दिन में 100 मिलियन खुराक** बनाने का लक्ष्य दिया था और फिर इसे बढ़ाकर **200 मिलियन** कर दिया। वैक्सीन उत्पादन की रफ्तार धीमी न पड़े इसके लिए **कच्चे माल का निर्यात** भी बंद कर दिया। आज हालत यह है कि एक बड़ी आबादी को टीका लगाकर अमेरिका ने कोरोना को इतना **काबू** में कर लिया कि **दोनों खुराक** लगवा चुके लोगों को अब **मॉस्क** की जरूरत भी नहीं पड़ रही है।

वैसे अगर इतिहास को देखें तो **'जब सरकार कमजोर होती है, तो अदालते बोलने लग जाती है और जब अदालते कमजोर होती है तो सरकारे बोलने लगती है।'** आजकल भाजपा की सरकार बहुत **मजबूत** है तो अदालत कुछ भी बोले उसका ज्यादा महत्व नहीं है। अदालतें कई जगह आगे बढ़कर काम कर रही है और कई जगहें सरकार ऐसा कर रही है। इससे **शक्तियों का संतुलन गड़बड़ा** रहा है। कई बार ऐसा भी होता है अदालतों की ये सख्त टिप्पणियां केवल **जनता कि वाहवाही** पाने के लिए भी होती है।

असल में न्यायपालिका का काम है **कानून की व्याख्या** करना और इस बात की चिंता करना की कानून के पालन करने की व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है। यदि कोई भी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का **अतिक्रमण** करे तो उसकी एक सीमा होती है और इसका ध्यान रखना चाहिए कि दूसरा क्षेत्र भी **उल्लंघन** कर सकता है।

हमारे देश में **न्यायधीशों की नियुक्ति** में बहुत बार **सही नियुक्तियां** नहीं होती है। कई बार न्यायधीशों की नियुक्तियों में **जाति का कोटा** भी होता है। चार साल पहले कोशिश हुई थी जब **सर्वसम्मति से संसद** ने तय किया था कि **नेशनल जुडिशियल अपाईटमेंटल कमीशन** बने। न्यायपालिका ने इसे ठुकरा दिया था तो **कार्यपालिका और विधानपालिका** ने अपनी **मर्यादा** रखी और उस पर फिर आगे चर्चा नहीं हुई। अगर बार बाद की सख्त टिप्पणियों के बाद भी अगर सरकार उसकी नहीं सुनती तो न्यायपालिका के पास **क्या विकल्प बचता** है? आखिरकार अदालते **सरकार को भंग** तो नहीं कर सकती है। ये अधिकार तो केवल **राष्ट्रपति** के पास ही होता है। सरकार और अदालतों की जंग में **अधिकारी पिसते** है। अधिकारियों को **अदालतों के प्रकोप और सरकार के क्रोध** के बीच **निर्णय** लेना होता है। अदालते अधिकारियों को तलब करती है और उन पर **अवमानना का जुर्माना या सजा** भी दे सकती है। ऐसे में अधिकारियों को सरकार को बताना होगा कि हमारे पास अदालतों के आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं है।

अब तक कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था, लेकिन अब अदालत **सरकार से सवाल पूछने** लगी है। अदालत को लगता है सरकार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रही है और उसे केवल **विश्व भर** में अपनी **गिरती साख** की चिंता है। सरकार केवल अपनी **छवि प्रबंधन** में व्यस्त है, लेकिन ऐसा है नहीं, सरकार इस लहर को रोकने के लिए **युद्ध स्तर** पर प्रयास कर रही है, लेकिन यह **प्रयास थोड़ी देरी** से शुरू हुए। कोरोना अब **गांव तक** पहुंच गया है, जहां कोरोना से लड़ने के लिए **संसाधनों का अभाव** है। अदालतों को चाहिए की वो **कार्यपालिका** को अपना कार्य करने दे।

वो भी एक **योजना** के तहत कार्य कर रहे है। इस तरह **बार-बार टिप्पणी** करने से सरकार का **मनोबल टूटता** है। न्यायधीशों को **भाषा की मर्यादा को ख्याल** भी रखना चाहिए। न्यायपालिका अपनी टिप्पणी जरूर दे, लेकिन उसमें एक **सावधानी भरे दृष्टिकोण की** जरूरत है। **तीनों स्तम्भों** को अपनी **मर्यादा** में रहना चाहिए तभी हम कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीत पाएंगे।

साइबर हमले के बढ़ते खतरे और चुनौतियां

मुकुल श्रीवास्तव

अमेरिका की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर पिछले सप्ताह के अंत में हुए एक साइबर हमले के बाद क्षेत्रीय आपातकाल का एलान कर दिया गया। कोलोनियल पाइपलाइन पर हुए इस हमले से अमेरिका के ईस्ट कोस्ट के राज्यों में डीजल, गैस और जेट ईंधन पर संकट पैदा हो गया, क्योंकि इस पाइपलाइन से प्रतिदिन 25 लाख बैरल तेल जाता है, जो कि इन जगहों की पैंतालीस प्रतिशत तेल आपूर्ति करता है। इसकी पुष्टि हो गई है कि ये रैन्समवेयर हमला डार्कसाइड नाम के एक साइबर अपराधी गिरोह ने किया था। डार्कसाइट साइबर अपराध की दुनिया में बहुत चर्चित नाम नहीं है, मगर इस घटना से पता चलता है कि रैन्समवेयर जैसे हमले किसी पेशे या दफ्तर को ही नहीं, किसी देश के औद्योगिक ढांचे के लिए भी खतरा बन सकते हैं।

लंदन की साइबर सिक्योरिटी कंपनी डिजिटल शैडोज के अनुसार डार्कसाइड एक व्यावसायिक कंपनी की तरह काम करता है, जो चोरी और हैकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बनाता है। उसके बाद इस अपराध में शामिल होनेवाले सहयोगियों को प्रशिक्षण देता है, और सिखाता है कि हमला कैसे किया जाए। डिजिटल शैडोज का यह भी कहना है कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी के कारण बहुत से इंजीनियर घरों से काम कर रहे हैं और पाइपलाइन के कंट्रोल सिस्टम को दूर से नियंत्रित करते हैं, इसका भी फायदा साइबर हमला करने वालों ने उठाया। भले ही यह हमला अमेरिका पर हुआ, पर तेजी से डिजिटल होती दुनिया में भारत भी इस खतरे से अछूता नहीं है।

बात ज्यादा पुरानी नहीं है, जब चीन के हैकर्स ने भारत में वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक पर साइबर हमले की कोशिश की थी। अक्तूबर 2020 में मुंबई के एक बड़े हिस्से की पावर ग्रिड फेल हो गई थी और मुंबई में अंधेरा छा गया। अमेरिका की मैसाचुसेट्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि चीनी सरकार समर्थित हैकरों के एक ग्रुप ने मैलवेयर के जरिये मुंबई में पावर ग्रिड को निशाना बनाया था। हालांकि केंद्र सरकार ने इस तरह के साइबर हमले को नहीं माना था।

आईबीएम की साइबर हमलों की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत साल 2020 में एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ उसे पूरे एशिया-प्रशांत इलाके में जापान के बाद सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने पड़े। महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा साइबर हमले बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर हुए। 2020 में एशिया में हुए कुल साइबर हमलों में से सात प्रतिशत भारतीय कंपनियों पर हुए।

आईबीएम की साइबर हमलों की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत साल 2020 में एक तरफ कोरोना महामारी से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ उसे पूरे एशिया-प्रशांत इलाके में जापान के बाद सबसे ज्यादा साइबर हमले झेलने पड़े। महत्वपूर्ण है कि सबसे ज्यादा साइबर हमले बैंकिंग और बीमा क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों पर हुए। 2020 में एशिया में हुए कुल साइबर हमलों में से सात प्रतिशत भारतीय कंपनियों पर हुए। साइबर हमले कई तरह से हो सकते हैं, जैसे वेबसाइट डिफेंसिंग, जिसमें किसी सरकारी वेबसाइट को हैक कर उसकी दिखावट को बदल दिया जाता है। जिससे यह पता चलता है कि अमुक वेबसाइट साइबर हमले का शिकार हुई है। दूसरा तरीका है, फिशिंग अटैक, जिसमें हैकर ईमेल या मैसेज के जरिये लिंक भेजता है, जिस पर क्लिक करते ही कंप्यूटर या वेबसाइट का सारा डाटा लीक हो जाता है। इसके अलावा बैकडोर अटैक भी एक तरीका है, जिसमें कंप्यूटर में एक मालवेयर भेजा जाता है, ताकि उपभोक्ता की सारी सूचनाएं मिल सके।

साइबर हमलों से बचाने के लिए भारत में दो संस्थाएं हैं। एक है, सीईआरटी, जिसे कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। दूसरी संस्था नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, जो रक्षा, दूरसंचार, परिवहन, बैंकिंग आदि क्षेत्रों की साइबर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। यह 2014 से भारत में काम कर रही है। भारत में अभी तक साइबर हमलों से निपटने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है। ऐसे मामले में फिलहाल आईटी एक्ट के तहत ही कार्रवाई होती है, जिसमें वेबसाइट ब्लॉक तक करने तक के प्रावधान हैं। न तो प्रावधान प्रभावी हैं और न ही पर्याप्त। कंप्यूटर की दुनिया ऐसी है, जिसमें अनेक प्रॉक्सी सर्वर होते हैं और दुनिया भर में फैले इंटरनेट के जाल पर दुनिया की कोई सरकार हमेशा नजर नहीं रख सकती, ऐसे में जागरूकता के साथ बचाव की रणनीति ही देश को इन हमलों से बचा सकती है।

कमजोर वर्ग को राहत देने का वक्त

जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में 13 मई को लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते पलायन पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले साल प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए शीर्ष अदालत ने जो कई आदेश दिए थे, उनका पालन नहीं हुआ है। कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में फंसे मजदूरों को सूखा राशन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उनके लिए सामुदायिक रसोई भी शुरू करने पर विचार किया जाए और इसके लिए मजदूरों से कोई पहचान-पत्र भी न मांगा जाए।

इन दिनों देश में कहीं लॉकडाउन, तो कहीं लॉकडाउन जैसी कठोर पाबंदियों और जनता कर्फ्यू के कारण गरीबों और श्रमिकों सहित संपूर्ण कमजोर वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा भारत में गरीबी और निम्न आमदनी वाले लोगों की चुनौतियां बढ़ने से संबंधित दो शोध रिपोर्टों को गंभीरतापूर्वक पढ़ा जा रहा है।

इन दो रिपोर्टों में से पहली रिपोर्ट 7 मई को अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वर्ष कोविड-19 संकट के पहले दौर में करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। ये वे लोग हैं, जो प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम पारिश्रमिक 375 रुपये से भी कम कमा रहे हैं। दूसरी रिपोर्ट अमेरिकी शोध संगठन प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी ने भारत में बीते साल 2020 में 7.5 करोड़ लोगों को गरीबी की दलदल में धकेल दिया है। रिपोर्ट में प्रतिदिन 2 डॉलर यानी करीब 150 रुपये कमाने वाले को गरीब की श्रेणी में रखा गया है।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2021 की तुलना में अप्रैल 2021 महीने में देश ने 75 लाख नौकरियां गंवाई हैं। इसके कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है। लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी बढ़ने के साथ कई राज्यों ने लॉकडाउन समेत अन्य पाबंदियां लगायी हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल असर पड़ा है और फलस्वरूप नौकरियां प्रभावित हुई हैं। इससे अप्रैल 2021 में बेरोजगारी दर चार महीने के उच्च स्तर 8 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 9.78 प्रतिशत है जबकि ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दर 7.13 प्रतिशत है। इससे पहले, मार्च 2021 में बेरोजगारी दर 6.50 प्रतिशत थी और अप्रैल 2021 की तुलना में ग्रामीण तथा शहरी दोनों जगह यह दर अपेक्षाकृत कम थी।

उल्लेखनीय है कि अभी जहां देश का गरीब और श्रमिक वर्ग पिछले वर्ष 2020 में कोरोना की पहली लहर के थपेड़ों से मिली आमदनी घटने और रोजगार मुश्किलों से पूरी राहत भी महसूस नहीं कर पाया है, वहीं अब फिर से देश में कोरोना की दूसरी घातक लहर के कारण गरीब एवं श्रमिक वर्ग की चिंताएं बढ़ गई हैं। खासतौर से छोटे उद्योग-कारोबार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग की रोजगार व पलायन संबंधी चुनौतियां उभरकर दिखाई दे रही हैं। औद्योगिक शहरों से एक बार फिर रेलों, बसों और सड़क मार्ग से प्रवासी मजदूरों का पलायन दिखाई दे रहा है।

इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि कोविड-19 से जंग में पिछले वर्ष 2020 में सरकार द्वारा घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान और 40 करोड़ से अधिक गरीबों, श्रमिकों और किसानों के जन धन खातों तक सीधी राहत पहुंचाई जाने से कोविड-19 के आर्थिक दुष्प्रभावों से देश के कमजोर वर्ग को बहुत कुछ बचाया जा सका है। अब स्थिति यह है कि पिछले वर्ष कोरोना की पहली लहर के कारण देश के जो करोड़ों लोग गरीबी के बीच आर्थिक-सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए दिखाई दे रहे थे, उनके सामने अब कोरोना की दूसरी लहर से निर्मित हो रही नई मुश्किलों से निपटने की बड़ी चिंता खड़ी हो गई है।

निःसंदेह देश में कोरोना के दूसरे घातक संक्रमण के बीच गरीब और श्रमिक वर्ग को मुश्किलों से बचाने के लिए तीन सूत्रीय रणनीति को अपनाया जाना उपयुक्त होगा। एक, सरकार द्वारा गरीबों और श्रमिकों के हित में अधिकतम कल्याणकारी कदम आगे बढ़ाए जाने होंगे। दो, गांवों में लौटते श्रमिकों के रोजगार के लिए मनरेगा पर आवंटन बढ़ाया जाना होगा। तीन, उद्योग कारोबार को उपयुक्त राहत दी जानी होगी, ताकि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बचाए जा सकें।

निःसंदेह देश में कोरोना के दूसरे घातक संक्रमण के बीच गरीब और श्रमिक वर्ग को मुश्किलों से बचाने के लिए तीन सूत्रीय रणनीति को अपनाया जाना उपयुक्त होगा। एक, सरकार द्वारा गरीबों और श्रमिकों के हित में अधिकतम कल्याणकारी कदम आगे बढ़ाए जाने होंगे। दो, गांवों में लौटते श्रमिकों के रोजगार के लिए मनरेगा पर आवंटन बढ़ाया जाना होगा। तीन, उद्योग कारोबार को उपयुक्त राहत दी जानी होगी, ताकि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बचाए जा सकें।

निश्चित रूप से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा गरीबों को राहत दिए जाने के अधिक उपाय सुनिश्चित किए जाने होंगे। पिछले माह 23 अप्रैल को केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार राशनकार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अन्न चावल या गेहूं मुफ्त में देगी। इससे 80 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 26000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होंगे। कोरोना से अधिक प्रभावित राज्य सरकारों द्वारा भी गरीबों और श्रमिकों के लिए उपयुक्त राहतकारी योजनाएं शीघ्र घोषित की जानी होंगी।

चूंकि इस समय कई औद्योगिक राज्यों से उद्योग-कारोबार पर संकट होने के कारण फिर से बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने गांवों की ओर लौट रहे हैं, ऐसे में मनरेगा को एक बार फिर प्रवासी श्रमिकों के लिए जीवन रक्षक और प्रभावी बनाना होगा। हाल ही में प्रकाशित एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक पिछले माह अप्रैल 2021 में मनेरगा के तहत गांवों में काम की मांग अप्रैल 2020 के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई है। जहां अप्रैल 2020 में मनेरगा के तहत करीब 1.34 करोड़ परिवारों की तरफ से काम की मांग की गई थी, वहीं अब अप्रैल 2021 में करीब 2.73 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया है। मनरेगा के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने हेतु चालू वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में मनरेगा के मद में रखे गए 73,000 करोड़ रुपये के आवंटन को बढ़ाया जाना जरूरी होगा।

निःसंदेह गरीब एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रोजगार से जुड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) को संभालने के लिए राहत के प्रयासों की जरूरत होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि 5 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने व्यक्तिगत कर्जदारों एवं छोटे कारोबारों के लिए कर्ज पुनर्गठन की जो सुविधा बढ़ाई है और कर्ज का विस्तार किया है, उससे छोटे उद्योग-कारोबार को लाभ होगा। इन नयी सुविधाओं के तहत 25 करोड़ रुपये तक के बकाये वाले वे कर्जदार अपना ऋण दो साल के लिए पुनर्गठित करा सकते हैं, जिन्होंने पहले मॉरेटोरियम या पुनर्गठन का लाभ नहीं लिया है। यह घोषित सुविधा 30 सितंबर, 2021 तक उपलब्ध होगी। बैंक उद्योग-कारोबार से इस संबंध में अनुरोध प्राप्त होने के 90 दिन में ऋण का पुनर्गठन करेंगे। इस योजना के तहत 31 मार्च तक के मानक ऋण का पुनर्गठन किया जाएगा।

लेकिन अभी एमएसएमई को कुछ अधिक राहत देकर रोजगार बचाने के साथ-साथ श्रमिक वर्ग को पलायन से रोका जाना होगा। एमएसएमई के लिए एक बार फिर से लोन मोरेटोरियम योजना लागू की जानी लाभप्रद होगी। आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को आगे बढ़ाने या उसे नये रूप में लाने जैसे कदम राहतकारी होंगे।